(2021) 10 एस0सी0आर. 116

श्रीपति सिंह (अब मृत) द्वारा इसके पुत्र गौरव सिंह

बनाम

झारखण्ड राज्य तथा एक अन्य

(दाण्डिक अपील सं0 1269-1270 वर्ष 2021)

अक्टूबर 28, 2021

(एम0आर0 शाह तथा ए. एस. वोपन्ना, न्यायमूर्तिगण)

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1882: धारा 138- प्रत्यर्थी संख्या- 2 ने पूर्व जान पहचान के कारण अपीलार्थी से रू0 2 करोड़ की आर्थिक सहायता प्राप्त किया था तथा आश्वस्त किया था कि धनराशि जून/जुलाई 2015 में लौटा दी जायेगी- इसके लिए, अपीलार्थी को चेको को सौपा गया था- भुगतान के आश्वासन पर आधारित अपीलार्थी ने अक्टूबर 2015 में वसूली हेतु चेको को प्रस्तुत किया था फिर भी इसे धन के अपर्याप्तता के कारण अनादृत किया गया था - अपीलार्थी ने धारा 420 भा0 द0 सं0 के अधीन तथा धारा 138 प0 लि0 अधिनियम के अधीन परिवाद दाखिल किया था - प्रत्यर्थी सं0 2 ने हाजिरी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन आवेदन दाखिल किया था जिसे नामंजूर किया गया था- फिर भी उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया था - अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत है - अभिनिर्धारित: चेक के मात्र अनादर का अर्थ छल करने के विमर्शित आशय के बारे में प्रत्यर्थी संख्या- 2 की ओर से कार्य के रूप मे निकाला नही जा सकता है तथा इस संबंध में दुराशय को उस समय से समझा नही जा सकता है जब धनराशि को प्राप्त किया गया था - वर्तमान मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियो मे, पर्याप्त साक्ष्य नही था जिससे यह संकेत मिले कि धारा 420 भा0 द0 सं0 के अधीन अपराध बनता है - फिर भी, चेको के अनादर पर, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत अनुध्यात परिणाम प्रत्यर्थी सं0 2 पर होगा - कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी संख्या- 2 के पास प्रतिरक्षा हो सकता है जो विचारण हेतु विषय होगा - किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थी सं0 2 तथ्य स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिये गये संज्ञान या इस प्रक्रम पर उन्मोचन की माँग करने वाले याचिका के नामंजूरी के संबंध में शिकायत नही कर सकता है -

दण्ड संहिता 1860-धारा 420

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1882 धारा 138- प्रत्यर्थी सं0 2 का दावा - लेखीवाल का दावा कि चेक ‘‘प्रतिभूति’’ के लिए था तथा इसे वैधानिक रूप से वसूली योग्य ऋणके निवर्हन हेतु जारी चेक नही माना जा सकता था तथा इसलिए, धारा 138 के अधीन परिवाद पोषणीय नही था- अभिनिर्धारित वित्तीय संव्यवहार के अनुसरण मे प्रतिभूति के रूप में जारी चेक को प्रत्येक परिस्थिति मे कागज के बेकार टुकड़े के रूप में नही जाना जा सकता है - ‘प्रतिभूति’ अपने असली अभिप्राय मे सुरक्षित होने की अवस्था है तथा ऋणहेतु दी गई प्रतिभूति भुगतान के वचन के रूप मे दिया गया कुछ है- इसे बाध्यता को पूरा करने को पक्का बनाने के लिए दिया जाता है, जमा किया जाता है या प्रतिभूत किया जाता है जिससे संव्यवहार के पक्षकारगण आबद्ध है - यदि संव्यवहार में ऋणदिया जाता है तथा ऋणी विनिर्दिष्ट समय सीमा में धनराशि प्रति संदाय करने की सहमति देता है तथा इस प्रकार के प्रतिसंदाय को प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप

में चेक जारी करता है; यदि ऋण धनराशि को नियत तिथि के पहले किसी अन्य रूप में प्रतिसंदत्त नही किया जाता है या यदि धनराशि के भुगतान को आस्थगित करने के लिए पक्षकारो के बीच अन्य सद्भावना या समझौता नही है, चेक जिसे प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है प्रस्तुत किये जाने के लिए परिपक्व होगा तथा चेक का उपरवाल इसे उपस्थापित करने का हकदार होगा - इस प्रकार के उपस्थापन पर, यदि इसका अनादर किया जाता है, पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 तथा अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत अनुध्यात परिणाम निकलेगा।

अपील को भागतः अनुज्ञात करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि; 1-1. उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचे गये निष्कर्ष में कोई त्रुटि नही है कि इन तथ्यो मे धारा 420 भा0द0सं0 के अधीन दण्डनीय कोई मामला नही बन सकता हे। यह इस तथ्य के कारण है कि अपीलार्थी के मामले के अनुसार भी अपीलार्थी द्वारा दी गयी धनराशि व्यापार संव्यवहार के लिए है तथा पक्षकारों के बीच ऋण समझौता किया गया था। ऋण समझौता के अन्तर्गत, प्रतिसंदाय हेतु अवधि पर सहमति बनी थी तथा प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए चेक जारी किया गया था। यह निःसन्देह सत्य है कि चेको को जब वसूली हेतु उपस्थापित किया गया था अनादृत किया गया था। चेक के मात्र अनादर का अर्थ छल करने के विमर्शित आशय के साथ प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से कार्य के रूप में नही निकाला जा सकता है तथा इस संबंध में दुराशय को उस समय से नही समझा जा सकता है जब धनराशि को प्राप्त किया गया था। वर्तमान तथ्यों तथा परिस्थितयों मे, पर्याप्त साक्ष्य नही है जिससे यह संकेत मिले कि धारा 420 भा0 द0 सं के अधीन अपराध बनता है तथा इसलिए इस पहलू पर, उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही है। (पैरा -11) (125-एच; 126-ए-डी)

1.2 स्वयं उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि वर्तमान मामला ऋण के वापस न किये जाने का पूर्णरूपेण मामला बन सकता है जो दाण्डिक कार्यवाहियों को आरम्भ करने के लिए आधार नही हो सकता है। यह धारित करने की सीमा तक निष्कर्ष कि वह छल का अपराध गठित नही करेगा, न्यायानुमत होगा। फिर भी, जब स्वयं उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह ऋणधनराशि के वापस न किये जाने का मामला है, पहला पहलू कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं0 2 से वैधानिक तरीके से वसूली योग्य ऋण है प्रथम दृष्टया साबित होता है। (पैरा 12) (126-डी-ई)

> समपेल्ली सत्य नारायण राव बनाम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लि0 (2016) 6 एससीआर 531; मेसर्स वोम्ब लेवोटरी प्रा0 लि0 बनाम विजय अहूजा तथा एक अन्य (दाण्डिक अपील सं0 1382-1383 वर्ष 2019) भरोसा किया गया।
>
> सुधीर कुमार भल्ला बनाम जगदीश चंद तथा अन्य 2008 (7) एससीसी 137; (2008) (7) एससीआर 459 : अप्रयोज्य अभिनिर्धारित
>
> इन्डस एयरवेज प्रा0 लि0 बनाम मैगनम एवीएशन प्रा0 लि0 (2014) 12 एससीसी 539 : (2014) 5 एससीआर 56 निर्दिष्ट

2.1 जब चेक को यद्यपि 'प्रतिभूति' के रूप मे जारी किया जाता है, इससे निकलने वाले परिणाम को चेक के लेखीवाल को भी मालुम होता है तथा यदि चेक को उपस्थापित तथा अनादृत किया जाता है, चेक के धारक/उपरवाल के पास वसूली हेतु सिविल कार्यवाही या तथ्य

स्थिति में दण्ड हेतु दाण्डिक कार्यवाहियाँ आरम्भ करने का विकल्प होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, मुकदमे के प्रकृति के संबंध में शब्दो को बोलकर लिखवाने का काम चेक के लेखीवाल का नही होता है (पैरा 17) (130-डी-ई)

2.2 यदि उपरोक्त सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाता है, प्रश्नगत ऋणसमझौते के अन्तर्गत यद्यपि प्रत्यर्थी सं0 2 ने प्रतिभूति के रूप में चेको को जारी किया था, वह जून/जुलाई 2015 के दौरान धनराशि का प्रति संदाय करने के लिए भी सहमत था, चेक जिसे प्रतिभूति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था को 20.10.2015 को वसूली हेतु उपस्थापित किया गया था जो ऋणधनराशि के प्रति संदाय हेतु सम्मत अवधि के बाद है तथा दिया गया ऋणपहले ही भुगतान हेतु देय हुआ था। इसलिए, प्रथम दृष्टया चेक जिसे प्रतिभूति के रूप में लिया गया था भुगतान हेतु परिपक्व था तथा अपीलार्थी इसे उपस्थापित करने का हकदार था। इस प्रकार के चेक के अनादर पर परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत अनुध्यात परिणाम प्रत्यर्थी संख्या- 2 पर घटित हुआ था। प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास कार्यवाहियो मे प्रतिरक्षा हो सकता है जो विचारण हेतु मामला होगा। किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थी संख्या 2 तथ्य स्थिति मे मजिस्ट्रेट द्वारा लिये गये संज्ञान या इस प्रक्रम पर उन्मोचन की माँग करने वाले याचिका के नामंजूरी के संबंध में शिकायत नही कर सकता है। (पैरा 18) (130-एफ.एच.; 131-ए)

3.1. नोटिस जैसा जारी किया गया था से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी ने बिल्कुल आरम्भ में चेक के अनादर होने के बाद प्रत्यर्थी सं0 2 को सूचित किया था वह जून/जुलाई 2015 तक ऋणचुकता करने के लिए सहमत है जिसके बाद अपीलार्थी ने 26.10.2015 को भुनाने हेतु चेक को उपस्थापित किया था तथा प्रतिसंदाय करने के आश्वासन को बनाए नही रखा गया है। उक्त परिस्थिति में यद्यपि चेक को उस समय पर प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था जब ऋण दिया गया था, इसे ऋण के प्रतिसंदाय हेतु देय होने के बाद धनराशि का प्रति संदाय करने के आश्वासन के रूप में जारी किया गया था। ऋण अस्तित्व मे था जब चेक को जारी किया गया था तथा जून/जुलाई 2015 के दौरान प्रतिसंदेय हो गया था तथा प्रति संदाय हेतु जारी चेक को इसके बाद उपस्थापित किये जाने की सहमति बनी थी। यदि धनराशि को जून/जुलाई 2015 के पहले किसी अन्य ढंग में संदत्त नही किया गया था, प्रत्यर्थी सं0 2 के लिए चेक का आदर करने के लिए खाता में पर्याप्त शेष की व्यवस्था करना आवश्यक था जिसे जून/जुलाई 2015 के बाद उपस्थापित किया जाना था। (पैरा 20,21)(131-जी-एच; 132-ए)

3.2 इन पहलुओं से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि पक्षकारों के बीच संव्यवहार था जिसके लिए वैधानिक रूप से वसूली योग्य ऋणका दावा अपीलार्थी द्वारा किया गया था तथा प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा जारी चेक को उपस्थापित किया गया था। इस प्रकार के चेक के अनादर होने के बाद, भुगतान न किये जान पर नोटिस जारी करने तथा पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के अधीन दाण्डिक परिवाद उपस्थापित करने हेतु वाद हेतु पैदा हुआ था। आगे प्रतिरक्षा कि क्या ऋणको चुकाया गया था जैसा प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा सहमति थी तथा इस परिस्थिति में चेक जिसे प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था इसके बाद भुगतान हेतु जीवित था, अधिक से अधिक प्रत्यर्थी सं0 2 के लिए प्रतिरक्षा को पेश करना तथा विचारण मे साबित किया जाना हो, सकता है। किसी भी स्थिति में, न्यायालय के लिए संज्ञान लेने से इंकार करने का या प्रत्यर्थी सं0 2 को उस रीति से उन्मोचन करने का मामला नही था जैसा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। इसलिए, यद्यपि धारा 420 भा0 द0सं0 के अधीन दाण्डिक परिवाद वर्तमान मामले के

तथ्यो तथा परिस्थितियो मे संधार्य नही था, पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद पोषणीय नही था तथा सभी तर्को तथा प्रतिरक्षा पर विचार विचारण के अनुक्रम के दौरान किया जाना था। (पैरा 22) (132-बी-ई)

निर्णयज विधि संदर्भ

(2016) 6एससीआर	531	भरोसा किया गया	पैरा 7
(2008) 7एससीआर`	459	अप्रयोज्य अभिनिर्धारित	पैरा 7
(2014) 5एससीआर	56	निर्दिष्ट	पैरा-14

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता: दाण्डिक अपील सं0 1259-1270 वर्ष 2021

दा0 प्र0 या0 सं0 2635 वर्ष 2017 तथा 2655 वर्ष 2017 मे झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची के निर्णय तथा आदेश दिनांक 17.12.2019 से

एम. सी. धीगंरा, राजीव रंजन तिवारी, गौरव धीगंरा, विक्रांत यादव, घनश्याम चैधरी, अविरल सक्सेना, राघवेन्द्र शुक्ला, अपीलार्थी के अधिवक्तागण

राजीव सिंह, एएजी, केशव मूर्ति, आश्विन वैश, राजकिशोर चैधरी, शकील अहमद, सुश्री मालविका राघवन, सुश्री गिरजेश चतुर्वेदी, अनुपम भाटी, विनोद पाण्डेय, विष्णू शर्मा, अभिषेक, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय **ए0 एस0 बोपन्ना, न्यायमूर्ति** द्वारा सुनाया गया।

1. दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका सं0 2635 वर्ष 2017 तथा दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका सं0 2655 वर्ष 2017 में झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2019 पर अभ्याक्रमण करते हुए अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष है। उक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त दा0 प्रकीर्ण याचिकाओ को अनुज्ञात किया है तथा परिवाद मामला सं0 1833 वर्ष 2015 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमवर्ग पलामू द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 तथा 13.06.2019 को अपास्त किया है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 04.07.2016 द्वारा इसमे प्रत्यर्थी सं0 2 के विरूद्व अभिकथित अपराध का संज्ञान लिया था। आदेश दिनंाक 13.06.2019 द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त दाण्डिक परिवाद में उन्मोचन की माँग करते हुए प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा दाखिल याचिका को नामंजूर किया था।

2. संक्षिप्त तथ्य जो वर्तमान मामले की ओर ले जाता है जैसा अभिवचन किया गया है कि अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी सं0 2 एक दूसरे को जानते है क्योकि प्रत्यर्थी सं0 2 तथा अपीलार्थी की पुत्री लंदन मे एक साथ अपनी शिक्षा ले रहे थे। अपने भारत वापस आने के बाद, प्रत्यर्थी सं0 2 बंगलौर में बस गया था तथा पहले के जान पहचान के कारण, परिवारो के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध जारी था। प्रत्यर्थी सं0 2 यह पता चलने के बाद कि अपीलार्थी व्यापार मे शामिल है, डालटनगंज मे इससे सम्पर्क किया था तथा रू0 1 करोड़ के आर्थिक सहायता की माँग किया था जिससे प्रत्यर्थी सं0 2 को इसे अपने व्यापार में निवेश करने मे सक्षम बनाया जा सके। चूॅकि प्रत्यर्थी सं0 2 ने आश्वस्त किया था कि इसे वापस कर दिया जायेगा, अपीलार्थी ने इसमे भरोसा रखा था तथा अपीलार्थी ने जनवरी 2014 से जुलाई 2014 के बीच अवधि के दौरान आगे धनराशि का कुल धनराशि रू0 2 करोड़ उधार देने का दावा किया है। उक्त धनराशि को प्रत्यर्थी सं0 2 को अपीलार्थी के पुत्री के खाते से तथा अपीलार्थी के खाते से अन्तरित करते हुए संदत्त किया गया

था। उक्त संव्यवहार के लिए, ऋणके प्राप्ति की अभिस्वीकृति देते हुए चार समझौते किया गया बताया गया है। उक्त समझौते को नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर सं0 बी 489155, बी 489156, बी 4899157 तथा बी 489159 पर लिखा गया था।

3. प्रत्यर्थी सं0 2 ने आश्वस्त किया था कि यदि धनराशि को जून/जुलाई 2015 के दौरान वापस कर दिया जायेगा। इसके लिए, रू0 1 करोड़ धनराशि के तीन चेको को अपीलार्थी को सौपा गया था। तत्पश्चात्, रू. 1 करोड़ के तीन और चेको को दिया गया था। अपीलार्थी कथित तौर पर प्रत्यर्थी सं0 2 से जुलाई 2015 के दौरान मिला था जब प्रत्यर्थी सं0 2 ने आश्वस्त किया था कि धनराशि को अक्टूबर 2015 के दौरान प्रति संदत्त किया जायेगा। इस प्रकार के आश्वासन पर आधारित, अपीलार्थी ने 20.10.2015 को वसूली हेतु चेको का उपस्थापित किया था। उपस्थापन पर, उक्त चेकों को प्रत्यर्थी सं0 2 के बैंक खाता में 'अपर्याप्त धन' के कारण वापस किया गया था। इसलिए अपीलार्थी ने विधिक नोटिस जारी करवाया था जैसा परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में पर0 लि0 अधिनियम) की धारा 138 के अधीन अनुध्यात है। चूंकि प्रत्यर्थी सं0 2 ने इस आश्वासन पर धन लिया था कि इसे वापस कर दिया जायेगा लेकिन अपीलार्थी को ठगा था, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सं0 2 ने इसके साथ छल किया था तथा तद्नुसार भा0द0सं0 की धारा 420 तथा पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 दोनो के अधीन परिवाद दाखिल किया गया था। अपीलार्थी ने स्वयं तथा साक्षीगण का शपथ लिया गया कथन प्रस्तुत किया था। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 04.07.2016 द्वारा संज्ञान लिया था तथा प्रत्यर्थी सं0 2 को समन जारी किया था।

4. प्रत्यर्थी सं0 2 ने हाजिरी पर दाण्डिक कार्यवाही से उन्मोचन की माँग करते हुए प्रकीर्ण याचिका दाखिल किया था, जिसे आदेश दिनांक 13.06.2019 द्वारा नामंजूर किया गया था। इसी पृष्ठभूमि में, आदेश दिनांक 04.07.2016 तथा 13.06.2019 से व्यथित होने का दावा करते हुए प्रत्यर्थी सं0 2 उक्त दाण्डिक प्रकीर्ण याचिकाओं में उच्च न्यायालय गया था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा दाखिल याचिकाओं को अनुज्ञात किया है। इसलिए व्यथित होने का दावा करने वाला अपीलार्थी इन अपीलो में इस न्यायालय के समक्ष है।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एम. सी. धीगंरा, प्रत्यर्थी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री राज किशोर चैधरी, प्रत्यर्थी सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री केशव मूर्ति को सुना तथा अपील पत्रावलियों का परिशीलन किया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी सं0 2 ने अपीलार्थी के परिवार से जान पहचान का फायदा लेते हुए, धनराशि उधार किया था जिसे प्रति संदत्त किया जाना था तथा जारी चेक उक्त धनराशि को अदा करने के लिए था। उक्त परिस्थिति मे, जब जारी चेक वैधानिक तरीके से वसूली योग्य ऋण को अदा करने के लिए था तथा यह अनादृत हो गया था, पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 का प्रावधान आकृष्ट होगा। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा दाखिल परिवाद विधि के अनुसार है। इसका आगे तर्क यह है कि वर्तमान मामले मे चूॅकि प्रत्यर्थी सं0 2 ने अपनी बेटी के जान पहचान के कारण अपीलार्थी का विश्वास हासिल किया था तथा इस परिस्थितियों में जब धनराशि जिस इसके द्वारा लिया गया था पहले प्रतिसंदत्त किया गया था जिससे विश्वास हासिल किया जा सके तथा पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने के बाद उस प्रक्रम पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए चेको को जारी करने के बावजूद बैक में पर्याप्त धन हेतु व्यवस्था नही किया था, यह प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा उद्देश्य द्वारा

अपीलार्थी से छल करने के तुल्य होगा तथा इसलिए धारा 420 भा0 द0 सं0 आकृष्ट होगा। यह तर्क दिया गया है कि प्राप्त धनराशि के लिए, इसकी अभिस्वीकृति ऋणसमझौते पर हस्ताक्षर करते हुए दी गई थी। आगे, जब इसका प्रतिसंदाय करने के लिए वचन था, चेक वैधानिक रूप से वसूली योग्य ऋणको इस प्रकार चुकाने के लिए जारी किया था तथा ऋणके प्रतिसंदाय हेतु सम्मत नियत तिथि के बाद उपस्थापन पर चेक अनादृत किया गया था, यह अपराध गठित करेगा। इस संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद तथा अपीलार्थी तथा इसके साक्षीगण द्वारा लेखबद्ध शपथ लिये गये कथनो को ध्यान में रखने के बाद संज्ञान लिया था तथा समनो को जारी किया था। इस प्रकार की स्थिति में संज्ञान लेने तथा प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा दाखिल उन्मोचन याचिका को नामंजूर करने के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश विधि के अनुसार था। यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमूर्ति ने वास्तव में इस निष्कर्ष पर पहुँचने में त्रुटि किया था कि प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा जारी चेक 'प्रतिभूति' के लिए था तथा यह कि इसे वैधानिक तरीके से वसूली योग्य ऋण को चुकाने के लिए जारी चेक के रूप में नही माना जा सकता था। यह तर्क दिया गया है कि विद्वान न्यायमूर्ति विषयान्तर पर अग्रसर हुए है तथा त्रुटि किया है एवं इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप आवश्यक है।

7. यह तर्क देना कि ऋण के चुकाने हेतु जारी तथा इसके वसूली हेतु उपस्थापित चेक का अर्थ 'प्रतिभूति' हेतु जारी किये जाने के रूप में नही निकाला जा सकता है समपेल्ली सत्य नारायण राव बनाम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लि0 (दाण्डिक अपील सं0 867 वर्ष 2016) के मामले में तथा मेसर्स बोम्ब लवोटरी प्रा0 लि0 बनाम विजय अहूजा तथा एक अन्य (दाण्डिक अपील सं0 1382-1383 वर्ष 2019) मे इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। अतः यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश मे अन्तर्विष्ट संप्रेक्षण कि प्रतिभूति के लिए जारी चेक पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान को आकृष्ट नही कर सकता है त्रुटिपूर्ण है तथा सुधीर कुमार भल्ला बनाम जगदीश चंद तथा अन्य 2008 7एससीसी 137 में निर्णय के संबध में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया संदर्भ आधार के बिना है। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है तथा विधि के अनुसार अग्रसर होने के लिए दाण्डिक परिवाद को फाइल मे पुनः स्थापित किया जाय।

8. प्रत्यर्थी सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री केशवमूर्ति ने तर्क दिया है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तथ्य स्थिति के संबंध में मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना संज्ञान लिया था तथा समनो को जारी किया था तथा उन्मोचन की माँग करने वाले प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा पेश मामले पर समुचित तरीके से विचार नही किया था। इन्होने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने दूसरी तरफ मामले के सम्पूर्ण सप्तग्राम को ध्यान में रखा है तथा निष्कर्ष पर पहुँचा है कि धारा 420 भाद0द0सं0 तथा पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 दोनो के अधीन अभिकथित अपराध नही बन रहा है। यह तर्क दिया गया है कि रू0 2 करोड़ के धनराशि हेतु दावा जैसा परिवाद मे किया गया है आधार के बिना है। इसका मामला यह है कि प्रत्यर्थी सं0 2 ने अपीलार्थी द्वारा पेश दावा का खण्डन करते हुए विस्तृत जवाब दिया है। यह तर्क दिया गया है कि असली परिवाद तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में दाण्डिक अपराध नही बनता है। भले ही मामला जैसा परिवाद में प्रस्तुत है को ध्यान

में रखा जाता है, अधिक से अधिक संव्यवहार को व्यापार उद्देश्य के लिए ऋण के उधार देने के रूप मे माना जा सकता है तथा भले ही यह माना जाता है कि उक्त धनराशि को प्रतिसंदत्त नही किया गया था यह केवल सिविल दायित्व को उदभूत करेगा तथा अपीलार्थीगण ऋण के वसूली हेतु केवल सिविल वाद दाखिल कर सकते थे। साक्षीगण का कथन, और विशेष रूप से परिवादी के पुत्री के कथन से पक्षकारों के बीच पुराने संबंध का संकेत मिलता है तथा आर्थिक संव्यवहार जो किसी स्थिति में दाण्डिक अपराध को गठित नही करता है। यह तर्क दिया गया है कि किसी परिस्थिति में, भा0द0सं0 की धारा 420 के अधीन अपराध जैसा अभिकथित है कायम नही रह सकता है। जहाँ तक पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्रत्यर्थी सं0 2 के विरूद्व अभिकथित अपराध का संबंध है, यह भी संधार्य नही होगा जब स्वयं परिवादी ने ऋण समझौते पर भरोसा किया है जिसमे ऋण हेतु प्रतिभूति के रूप में जारी चेक के संबंध में संदर्भ किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने वास्तव मे इन पहलूओ को ध्यान में रखा है, इसके सही परिप्रेक्ष्य मे अग्रसर हुआ है तथा न्यायपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचा है, जिसमे हस्तक्षेप आवश्यक नही है। इसलिए इन्होने तर्क दिया है कि उपरोक्त अपील को खारिज किया जाय।

9. प्रतिद्वन्द्वी तर्को के आलोक में, अपील पत्रावली के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का असली मामला है यह कि इसने व्यापार के उद्देश्य के लिए आर्थिक सहायता द्वारा प्रत्यर्थी सं0 2 को रू0 2 करोड की भारी धनराशि उधार में दिया है संव्यवहार के प्रकृति तथा आरम्भ कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए इस तथ्य का भान रखना आवश्यक है कि पक्षकारों के बीच कार्यवाहियाँ प्रारम्भिक प्रक्रम पर है तथा पक्षकारों के बीच विवाद के संबंध में दिया गया कोई निश्चायक निष्कर्ष इनके मामले को प्रभावित करेगा यदि अंततोगत्वा अपीलार्थीगण इसमें सफल होते हैं तथा आगे प्रगति हेतु दाण्डिक कार्यवाहियों को पुनः स्थापित किया जाता है। इसलिए, इसमे यह जाँच करना आवश्यक है कि क्या अपीलार्थी ने प्रथम दृष्टया संव्यवहार साबित किया है जिसके अन्तर्गत प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा अपीलार्थी को वैधानिक रूप से वसूली योग्य ऋण देय है तथा क्या प्रश्नगत चेक जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा परिवाद दाखिल किया गया है इस प्रकार वैधानिक रूप से वसूली योग्य ऋण के चुकाने के लिए जारी किया गया है। इस संबंध में, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या प्रश्नगत चेको पर फिर भी उक्त धनराशि हेतु 'प्रतिभूति' के रूप में विचार किया जाना चाहिए तथा क्या यह वैधानिक रूप से वसूली योग्य ऋण के वसूली हेतु उपस्थापित किये जाने योग्य नही था। प्रश्न जो विचारार्थ पैदा होता है यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा दाखिल परिवाद को पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के अधीन कार्यवाही तक सीमित होना चाहिए या अन्तवलित तथ्यो पर, क्या धारा 420 भा0द0सं0 का अवलेव लिया जाना भी न्यायसंगत है।

10. उपरोक्त पहलूओं पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवाद तथा परिवादी एवं साक्षीगण के शपथ लिये गये कथन को निर्दिष्ट करने के बाद संज्ञान लिया है, समनो को जारी किया है तथा परिणामस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उन्मोचन जैसा प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा माँगा गया है स्वीकार नही किया जा सकता है। दूसरी तरफ उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वन्द्वी तर्को को निर्दिष्ट करने के बाद निम्नवत निष्कर्ष निकाला है:-

''20. पूर्वोक्त तथ्यों से तथा परिवादी के दस्तावेजों से, यह न्यायालय पाता है कि पुराना व्यापार संव्यवहार तथा ऋण को वापस करने की असमर्थता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा

420 के अधीन दण्डनीय छल करने के दाण्डिक अपराध का रंग दिया गया है। दुराशय के साथ न्यास भंग दाण्डिक अभियोजन को उद्भूत करता है। इस मामले में जब मैं परिवादी के आरोप के पहले साक्ष्य तथा परिवादी के दस्तावेजों का परिशीलन करता हूँ, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच पुराना व्यापार संव्यवहार है। 2011 से परिवादी तथा इसके परिवार के सदस्यों द्वारा अभियुक्त को पैसा उधार में दिया गया था तथा परिवादी साक्षी स्वीकार करना है कि पैसा अभियुक्त के खाते से परिवादी के पुत्री के खाते में अन्तरित किया गया था। साक्ष्य से, मैं पाता हूँ कि ऐसी कोई सामग्री नही है जिससे किसी दुराशय के होने का पता चलता हो। इस प्रकार, यह मामला पूर्णरूपेण ऋण के वापस न किये जाने का मामला हो जाता है, जो दाण्डिक कार्यवाही आरम्भ करने के लिए आधार नही हो सकता है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने (2018) 14 एससीसी 233 में संप्रकाशित समीर सहाय उर्फ समीर सहाय बनाम उ0 प्र0 राज्य तथा एक अन्य के मामले में अभिनिर्धारित किया कि जब पक्षकारो के बीच विवाद उधार दिये गये धनराशि को वापस न करते हुए अपीलार्थी की ओर से संविदा भंग से निकलने वाला सामान्यतया सिविल विवाद था, यह छल का अपराध गठित नही करेगा। इस मामले मे भी, मैं पाता हूँ कि यह सत्य मामला है कि ऋण के धनराशि को वापस नही किया गया है, इस प्रकार, यह छल करने के कार्यक्षेत्र में नही आ सकता है, यद्यपि परिवादी ने तात्विक तथ्यो को छिपाते हुए, अलग रंग देने का प्रयास किया है। इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय कोई मामला नही बन सकता है।

21. आगे, मैं पाता हूँ यह परिवादी का दस्तावेज है, जिससे प्रदर्शित होता है कि चेको को प्रतिभूति द्वारा दिया गया था। भले ही मैं अभियुक्त के कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ, परिवादी के दस्तावेजो की उपेक्षा नही की जा सकती है। जैसा पहले अभिनिर्धारित किया गया है, ‘‘सुधीर कुमार भल्ला’’ (ऊपर) के मामले मे मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा समर्थित प्रतिभूति द्वारा दिया गया चेक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 को आकृष्ट नही कर सकता है। चूँकि चेको को प्रतिभूति द्वारा दिया गया था, जो परिवादी के दस्तावेज से स्पष्ट है (यद्यपि इस तथ्य को परिवाद याचिका मे भी छिपाया गया है), मैं पाता हूँ कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 भी इस मामले में आकृष्ट नही होता है।

11. हमारे द्वारा जिसे ध्यान मे रखा गया है के पृष्ठभूमि में तथा उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचा निष्कर्ष, जहाँ तक उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष पर पहुँचने का संबंध है कि इन तथ्यों में धारा 420 भा0 द0 सं0 के अधीन दण्डनीय कोई मामला नही बन सकता है, हम इस प्रकार के निष्कर्ष से सहमत है। यह इस तथ्य के कारण है कि अपीलार्थी के मामले के अनुसार भी अपीलार्थी द्वारा उधार मे दी गई धनराशि व्यापार संव्यवहार के लिए है तथा पक्षकारों के बीच ऋण समझौता किया गया था। ऋण समझौते के अन्तर्गत, प्रतिसंदाय हेतु अवधि सम्मत था तथा चेक प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था। यह निःसन्देह सत्य है कि चेको को जब वसूली हेतु उपस्थापित किया गया था अनादृत किया गया था। चेक के अनादर मात्र का अर्थ छल करने के विमर्शित आशय के साथ प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से कार्य के रूप में नही लगाया जा सकता है तथा इस संबंध में दुराशय को उस समय नही समझा जा सकता है जब से धनराशि प्राप्त किया था। वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों में, पर्याप्त साक्ष्य नही है जिससे धारा 420 भा0 द0 सं0 के अधीन अपराध बनता हो तथा इसलिए, इस पहलू पर हम उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही देखते है।

12. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद तथा उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचे निष्कर्ष को भी ध्यान में रखते हुए जैसा ऊपर उद्धृत है, यह उल्लेख किया जाता है कि उच्च न्यायालय स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वर्तमान मामला ऋण के वापस न किये जाने का पूर्णरूपेण मामला बनता है जो दाण्डिक कार्यवाहियों को आरम्भ करने के लिए आधार नही हो सकता है। यह धारित करने के विस्तार तक निष्कर्ष कि यह छल के अपराध केा गठन नही करेगा, जैसा पहले ऊपर बताया गया है न्याय संगत होगा। फिर भी, जब स्वयं उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह ऋण धनराशि के वापस न किये जाने का मामला है, पहला पहलू कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं0 2 से वैधानिक रूप से वसूली योग्य ऋण है प्रथम दृष्टया साबित होता है। एक मात्र प्रश्न कि इसलिए हमारे द्वारा विचार आवश्यक है यह है कि क्या प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से पेश तर्क कि पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध नही बनता है क्योकि अभिकथित अनादर चेको का है जिसे 'प्रतिभूति' के जरिए जारी किया गया था न कि किसी ऋण को चुकता करने के लिए।

13. मामले के इस पहलू पर विचार करने के लिए हमने आरम्भ में चार ऋण समझौतो दिंनांक 13.08.2014 को ध्यान में रखा है जो इसमें विषय वस्तु है। प्रत्येक समझौते के अन्तर्गत प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा दिया गया वचन अपीलार्थी को रू0 50 लाख की धनराशि अदा करने के लिए है। इस प्रकार जिसकी कुल धनराशि रू0 2 करोड़ होगी जैसा अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है। अदा करने के वचन के लिए, प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा सम्मत प्रतिसंदाय को जुन/जुलाई 2015 के अन्दर कुल धनराशि को चुकाना है। ऋण समझौते के पैरा 5 से संकेत मिलता है कि छः चेको को प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया है। अपीलार्थी के दावा को उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस तथ्य के कारण नकारा गया है कि समझौते से संकेत मिलता है कि चेको को प्रतिभूति के तौर पर दिया गया है तथा परिवादी ने भी इस तथ्य को परिवाद मे कहा है। यद्यपि उच्च न्यायालय ने सुधीर कुमार भल्ला (ऊपर) के मामले में निर्णय को ध्यान में रखा है जो यह धारित करता है कि प्रतिभूति के रूप में जारी चेक अपराध गठित नही कर सकता है, यह हमारी राय में प्रत्यर्थी सं0 2 की सहायता नही करता है। उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट घोषणा नही है कि प्रतिभूति के रूप मे जारी चेक को सभी परिस्थितियों में वसूली हेतु उपस्थापित नही किया जा सकता है। उक्त मामले मे तथ्य जारी चेको से संबंधित है तथा चेको में परिवर्तन किया गया जिसके लिए चेक के लेखीवाल द्वारा प्रति परिवाद भी दाखिल किया गया था। अतः उक्त निर्णय इस मामले में स्थिति का उत्तर देने के लिए नजीर नही हो सकता है तथा उच्च न्यायालय उपर्युक्त पर भरोसा रखने में न्याय संगत नही था।

14. वास्तव में, समपेल्ली सत्य नारायण राव (ऊपर) के मामले मे इस न्यायालय में निर्णय को ध्यान में रखना उपयुक्त होगा जिसमे इस न्यायालय ने विवाद्यक का उत्तर देते हुए कि क्या वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व को गठित करता है जैसा पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण 2 में अन्तर्विष्ट है निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:-

''10. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश निवेदन तथा अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में इण्डस एयरवेज (ऊपर) के संप्रेक्षणों तथा अधिनियम की धारा 138 में पाये जाने वाले अभिव्यक्ति ''किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन हेतु'' पर सम्यक् विचार किया है। मेरी राय है कि प्रश्न कि क्या उत्तर दिनांकित चेक ''ऋण या दायित्व के उन्मोचन'' हेतु है

संव्यवहार के प्रकृति पर निर्भर है। यदि चेक के तिथि को दायित्व या ऋण विद्यमान है या धनराशि वैधानिक रूप से वसूली योग्य हो गया है, धारा आकृष्ट होता है अन्यथा नही।

11. वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि यद्यपि शब्द ''प्रतिभूति'' का प्रयोग समझौते के खण्ड 3.1 (iii) मे किया गया है, उक्त अभिव्यक्ति किश्तो के प्रतिसंदाय हेतु चेको को निर्दिष्ट करता है। प्रति संदाय उस क्षण से समझौते के अन्तर्गत देय हो जाता है जब से ऋण को उधार दिया जाता है तथा किश्त देय होता है। यह निर्विवादित है कि ऋण को 28 फरवरी 2002 को सम्यक् संवितरित किया गया था जो चेको के तिथि के पहले था। एकबार ऋण संवितरित कर दिया गया था तथा किश्ते समझौते के अनुसार चेक के तिथि को देय हो गई है, इस प्रकार के चेको का अनादर अधिनियम की धारा 138 के अधीन आयेगा। चेक निःसन्देह बकाया दायित्व को घोतित करता है।

12. इण्डस एयरवेज (ऊपर) में निर्णय स्पष्ट रूप से भिन्न है। जैसा पहले ही उल्लिखित है, इसमे यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 138 के अधीन संविदा भंग हेतु दावा से उद्भूत दायित्व, जो जारी चेक के अनादर के कारण पैदा होता है ऋण संव्यवहार के अन्तगर्त अभिस्वीकृति तथा स्वीकृत ऋण के चुकाने हेतु अपराधिक दायित्व के सममूल्य पर स्वयं नही था। वाद के दायित्व के निर्वहन हेतु जारी चेक का अनादर स्पष्ट रूप से प्रश्नगत कानून द्वारा आच्छादित है। सर्व सम्मति से, चेक के तिथि को इण्डस एयरवेज (ऊपर) के मामले के विरूद्व ऋण समझौते के अनुसार वर्तमान में ऋण/दायित्व था, जहाँ क्रय आदेश को रद्द किया गया था तथा क्रय आदेश हेतु अग्रिम भुगतान हेतु जारी चेक को अनादर किया गया था। इस मामले में, यह पाया गया कि चेक की दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किया गया था लेकिन क्रय आदेश हेतु अग्रिम भुगतान के रूप में जिसे रद्द किया गया था। इस सूक्ष्म लेकिन वास्तविक अंतर को ध्यान में रखते हुए, उक्त निर्णय को वर्तमान प्रकृति के मामले में लागू नही किया जा सकता है जहां चेक ऋण किश्त के प्रति संदाय हेतु था जो देय था यद्यपि किश्तो के प्रतिसंदाय हेतु चेको को इस प्रकार जमा किये जाने को ऋण समझौते मे ''प्रतिभूति'' के रूप में बताया गया था। इण्डस एयरवेज (ऊपर) मे निर्णय को लागू करने में कोई क्रय आदेश के संव्यवहार जिसे रद्द किया गया है तथा उस ऋण सव्यंवहार के बीच अंतर की अनदेखी नही कर सकता है जहां ऋण को वास्तव मे उधार दिया गया है तथा इसका प्रतिसंदाय चेक के तिथि को देय है।

13. अधिनियम की धारा 138 के प्रयोज्यता का अवधारण करने के लिए निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या चेक विद्यमान प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के निर्वहन को द्योतित करता है या क्या यह विद्यमान ऋण या दायित्व के बिना अग्रिम भुगतान को घोतित करता है। पहले उल्लिखित विभिन्न उच्च न्यायालयों के विचारो का अनुमोदन करते हुए, यह अधस्थ सिद्धान्त है जिसे इस न्यायालय के निर्णय में उक्त मामलो के विवेचना से देखा जा सकता है।''

(बल दिया गया)

इण्डस एयरवेज प्रा0 लि0 बनाम मेगनम एवीएशन प्रा0 लि0 (2014) 12 एससीसी 539 के मामले मे इस न्यायालय के निर्णय को सुभिन्न करते हुए इस न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष पर पहुँचा गया था जो ऐसा मामला था जिसमे विवाद्यक क्रय आदेश जो प्रतिफलार्थ उठा था के विरूद्व अग्रिम भुगतान द्वारा जारी उत्तर दिनांकित चेक के अनादर के बारे में था। इस

परिस्थिति में, यह अभिनिर्धारित किया गया है इसे वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन हेतु जारी चेक में रूप में नही माना जा सकता है।

15. आगे, इस न्यायालय ने मेसर्स वोम्ब लेवोटरीज प्रा0 लि0 (ऊपर) के मामले मे निम्नवत अभिनिर्धारित किया है:-

> ''5. हमारी राय में उच्च न्यायालय ने सम्पूर्ण विवाद्यक को अस्त व्यस्त कर दिया है। परिवाद मे प्रकथन से संकेत मिलता है कि हस्ताक्षरित चेको को अभियुक्त द्वारा परिवादी को सौपा गया था। चेको को प्रतिभूति के तौर पर दिया गया था, प्रतिरक्षा का मामला है। आगे, यह किसी ऋण या किसी दायित्व के निर्वहन हेतु नही था भी प्रतिरक्षा का मामला है। प्रतिरक्षा का अनुमोदन करने के लिए सुसंगत तथ्यो को साबित करना होगा कि इस प्रकार के प्रतिभूति को अभियुक्त के ऋण या अन्य दायित्व के रूप में नही माना जा सकता है। यह विचारणीय विवाद्यक होगा। हम ऐसा इसलिए कहते है क्योकि प्रतिभूति के तौर पर चेको का सौपा जाना स्वतः अभियुक्त को इस प्रकार के चेको से उद्भूत दायित्व के निर्वहन से मुक्त नही करेगा।
>
> 6. यह कहना पर्याप्त है, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय न्यायिक छानबीन के कसौटी को ज्यो का त्यो नही रख सकता है। इसलिए इसे अपास्त किया जाता है।''

16. वित्तीय संव्यवहार के अनुसरण में प्रतिभूति के रूप में जारी चेक को प्रत्येक परिस्थिति में कागज के बेकार टुकड़े के रूप में नही माना जा सकता है। ''प्रतिभूति'' अपने असली अभिप्राय में सुरक्षित होने की अवस्था है तथा ऋण हेतु दी गई प्रतिभूति भुगतान के गिरवी के रूप में दिया गया कुछ है। बाध्यता जिससे संव्यवहार के पक्षकारगण आबद्ध है को पूरा करने को पक्का बनाने के लिए इसे दिया जाता है, जमा किया जाता है या गिरवी रखा जाता है। यदि संव्यवहार में, ऋण उधार दिया जाता है तथा ऋणी विनिर्दिष्ट समय सीमा में धनराशि का प्रति संदाय करने के लिए सहमत होता है तथा इस प्रकार के प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में चेक जारी करता है; यदि ऋण धनराशि को नियत तिथि के पहले किसी अन्य रूप में प्रतिसंदत्त नही किया जाता है या यदि धनराशि के भुगतान को आस्थगित करने के लिए पक्षकारो के बीच अन्य समझ या समझौता नही है, चेक जिसे प्रतिभूति के रूप मे जारी किया गया है उपस्थापन हेतु परिपक्व होगा तथा चेक का उपरवाल इसे उपस्थापित करने का हकदार होगा। इस प्रकार के उपस्थान पर, यदि इसे अनादृत किया जाता है, पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 तथा अन्य प्रावधानों के अधीन अनुध्यात परिणाम निकलेगा।

17. जब चेक को जारी किया जाता है तथा प्रतिसंदाय हेतु निर्धारित समयावधि के साथ धनराशि के प्रतिसंदाय हेतु 'प्रतिभूति' के रूप में माना जाता है, कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार का चेक जिस 'प्रतिभूति' के रूप मे जारी किया जाता है को प्रतिसंदाय हेतु परिपक्व किश्त या ऋण के पहले उपस्थापित नही किया जा सकता है जिसके लिए इस प्रकार के चेक को प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है। आगे, ऋण के पास ऋण धनराशि या किसी अन्य रूप में इस प्रकार के वित्तीय दायित्व का प्रतिसंदाय करने का विकल्प होगा तथा इस तरह से यदि बकाया या देय ऋण के धनराशि का उन्मोचन सम्मत अवधि मे किया गया है, प्रतिभूति के रूप मे जारी चेक को तत्पश्चात् उपस्थापित नही किया जा सकता है। इसलिए ऋण के पूर्व उन्मोचन या बदली हुई स्थिति में जिसके कारण पक्षकारो के बीच समझौता होगा चेक

उपस्थापित न करना अनिवार्य है जिसे प्रतिभूति के रूप में जारी किया था। यह सब केवल प्रतिरक्षा है जो पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरम्भ कार्यवाहियों मे चेक के लेखीवाल को प्राप्त होगा। इसलिए, पक्का नियम नही हो सकता है कि चेक जिसे प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया है चेक के उपरवाल द्वारा कभी भी उपस्थापित नही किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का समझौता है चेक को 'मांग पर वचन पत्र' मे भी बदल दिया जायेगा तथा सभी परिस्थतियों मे, यह धनराशि को वसूलने के लिए केवल सिविल वाद होगा, जो कानून का आशय नही है। जब चेक को यदि 'प्रतिभूति' के रूप मे भी जारी किया जाता है इससे निकलने वाले परिणाम चेक के लेखीवाल को भी मालुम होता है तथा ऊपर बताये गये परिस्थिति में यदि चेक को उपस्थापित तथा अनादृत किया जाता है, चेक धारक/उपरवाल के पास वसूली हेतु सिविल कार्यवाहियाँ या तथ्यस्थिति मे दण्ड हेतु दाण्डिक आरम्भ कार्यवाहियाँ या तथ्य स्थिति में दण्ड हेतु दाण्डिक कार्यवाहियाँ आरम्भ करने का विकल्प होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, चेक के लेखीवाल का काम मुकदमे के प्रकृति के संबंध में शब्दो को बोलकर लिखवाने का नही है।

18. यदि उपरोक्त सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाता है, जैसा पहले उल्लिखित है, प्रश्नगत ऋण समझौता मे प्रत्यर्थी सं0 2 ने यद्यपि चेको को प्रतिभूति के रूप मे जारी किया था, वह जून/जुलाई 2015 के दौरान धनराशि का प्रतिसंदाय करने के लिए भी सहमत था, चेक जिसे प्रतिभूति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था 20.10.2015 को वसूली हेतु उपस्थापित किया गया था जो ऋण धनराशि के प्रति संदाय हेतु सम्मत अवधि के बाद है तथा उधार दिया गया ऋण पहले से भुगतान हेतु देय पड़ा था। इसलिए, प्रथम दृष्टया चेक जिसे प्रतिभूति के रूप में लिया गया था भुगतान हेतु परिपक्व था तथा अपीलार्थी इसे उपस्थापित करने का हकदार था। इस प्रकार के चेक के अनादर पर परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत अनुध्यात परिणाम प्रत्यर्थी सं0 2 पर घटित हुआ था। जैसा ऊपर बताया गया है प्रत्यर्थी सं0 2 के पास कार्यवाहियों मे प्रतिरक्षा हो सकता है जो विचारण हेतु मामला होगा। किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थी सं0 2 तथ्य स्थिति मे विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लिये गये संज्ञान या इस प्रक्रम पर उन्मोचन की मांग करे के नामंजूरी के संबंध में शिकायत नही कर सकता है।

19. ऊपर ध्यान दिये गये तथ्यात्मक तथा विधिक स्थिति के पृष्ठभूमि में, वर्तमान तथ्यों में, अपीलार्थी को मात्र इस तथ्य के कारण पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के अधीन दाखिल परिवाद के कार्यवाही हेतु वादावसानित नही किया जा सकता है कि उपस्थापित तथा अनादृत चेको को प्रतिभूति के रूप मे जारी किया गया दिखाया गया है, जैसा ऋण समझौते में संकेत दिया गया है। हमारी राय में, इस प्रकार का तर्क केवल उस परिस्थिति में उठेगा जहां ऋण वसूली योग्य नही हो गया है तथा प्रतिभूति के रूप में जारी चेक धनराशि के वसूली हेतु उप स्थापित किये जाने के लिए परिपक्व नही हुआ है, यदि ऋण के भुगतान हेतु सम्मत नियत तिथि नही पहुँचा है। वर्तमान तथ्यों में, जैसा उल्लिखित है, प्रतिसंदाय जैसा प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा सम्मत है जून/जुलाई 2015 है। 20.10.2015 को वसूली हेतु अपीलार्थी द्वारा चेक को उपस्थापित किया गया है। क्योंकि वसूली हेतु चेक के उपस्थापित किये जाने की तिथि को धनराशि का प्रति संदाय जैसा ऋण समझौते के अधीन सम्मत है परिपक्व हो गया था तथा धनराशि बकाया तथा देय हो गया था। इसलिए, यह तर्क देना कि चेक को धनराशि के बकाया तथा देय होने के बाद भी प्रतिभूति के रूप में अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए संधार्य नही है। आगे,चेको के अनादृत

होने पर अपीलार्थी ने विधिक नोटिस दिनांक 21.11.2015 जारी करवाया था जिसमे अन्य बातो के साथ यह निम्नवत् कहा गया है:-

''आपने ऋण हेतु हमारे मुवक्किल से अनुरोध किया तथा आपकी बात स्वीकार करने के बाद मेरा मुवक्किल आपको ऋण दिया तथा ऋण अग्रिम उधार दिया था तथा इसके विरूद्व आपने कुल मिलाकर रू0 एक करोड़ के मूल्य का अलग-अलग चेक जारी किया था तथा मेरे मुवक्किल को अपने यह भी आश्वस्त किया था कि आप जून/जुलाई 2015 के अन्दर ऋण चुकता कर देगे तथा इसके बाद 26.10.2015 को मेरे मुवक्किल मे सभी चेक सं0 4022771 मूल्य रू0 25 लाख, 901770 मूल्य रू0 25 लाख, 402769 मूल्य रू0 50 लाख (कुल रूपया एक करोड़) को एच0डी0एफ0सी0 बैक में भुनाने हेतु प्रस्तुत किया था तथा ऊपर संख्याकित चेको को ''अपर्याप्त धन'' पृष्ठांकन के साथ लौटा दिया गया था। तब मेरे मुवक्किल ने महसूस किया कि आपने आश्वासन को पूरा नही किया है।''

20. नोटिस जैसा जारी किया गया है संकेत देता है कि अपीलार्थी ने बिल्कुल आरम्भ में चेक के अनादृत होने के बाद, प्रत्यर्थी सं0 2 को सूचित किया था कि वह जून/जुलाई 2015 तक ऋण को चुकता करने के लिए सहमत था जिसके बाद अपीलार्थी ने 26.10.2015 को भुनाने के लिए चेक उपस्थापित किया था तथा प्रतिसंदाय करने के आश्वासन को बनाये नही रखा गया है।

21. उपरोक्त परिस्थिति में, चेक को यद्यपि उस समय पर प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था जब ऋण को उधार दिया गया था, इसे ऋण के प्रति संदाय हेतु देय होने के बाद धनराशि प्रतिसंदाय करने के आश्वासन के रूप मे जारी किया गया था। ऋण तब आस्तित्व में था जब चेक को जारी किया गया था जून/जुलाई 2015 के दौरान प्रतिसंदेय हो गया था तथा तत्पश्चात् प्रति संदाय हेतु जारी चेक उपस्थापित किये जाने के लिए सम्मत था। यदि धनराशि को जून/ जुलाई 2015 के पहले किसी अन्य ढंग से संदत्त नही किया गया था, प्रत्यर्थी सं0 2 के लिए चेक का आदर करने के लिए खाते में पर्याप्त शेष की व्यवस्था करना आवश्यक था जिसे जून/जुलाई 2015 के बाद उपस्थापित किया जाना था।

22. इन पहलूओ से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि पक्षकारो के बीच संव्यवहार था जिसके लिए वैधानिक रूप से वसूली योग्य ऋण का दावा अपीलार्थी द्वारा किया गया था तथा प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा जारी चेक को उपस्थापित किया गया था। इस प्रकार चेक के अनाहृत हो जाने के बाद, भुगतान न किये जाने पर नोटिस जारी करने तथा पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के अधीन दाण्डिक परिवाद उपस्थापित करने के लिए वाद हेतु पैदा हुआ था। आगे प्रतिरक्षा कि क्या ऋण को चुकाया गया था जैसा प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा सम्मत था तथा इस परिस्थिति मे चेक जिसे प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था इसके बाद भुगतान हेतु जीवित नही बचा था, अधिक से अधिक विचारण मे पेश करने तथा साबित करने के लिए प्रत्यर्थी सं0 2 के लिए प्रतिरक्षा हो सकता है। किसी भी स्थिति में, न्यायालय द्वारा उस तरीके से जैसा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है संज्ञान लेने से इंकार करने या प्रत्यर्थी सं0 2 का उन्मोचन करने का मामला नही था। इसलिए, यद्यपि धारा 420 भा0द0सं0 के अधीन दाण्डिक परिवाद वर्तमान मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियो में संधार्य नही था, पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद पोषणीय था तथा सभी तर्को एवं प्रतिरक्षा पर विचार विचारण के अनुक्रम के दौरान किया जाना चाहिए था।

23. इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका सं0 2635 वर्ष 2017 तथा दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका सं0 2655 वर्ष 2017 मे झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2019 को अपास्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 तथा 13.06.2019 को पुनः स्थापित किया जाता है। परिवाद सी0सी0 सं0 1839 वर्ष 2015 तथा 1833 वर्ष 2015 न्यायिक मजिस्ट्रेट के फाइल मे पुनः स्थापित किया जाता है, जो विधि के अनुसार अग्रसर होने के लिए पर0 लि0 अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद तक परिसीमित होगा।

24. गुणावगुण पर पक्षकारो के सभी तर्को को खुला छोड़ा जाता है। हम इसे स्पष्ट करते है कि इसमे अन्तर्विष्ट किसी का संप्रेक्षण का प्रमुख विचारण से कोई संबंध नही होगा। विचारण न्यायालय स्वयं के समक्ष दिये गये साक्ष्य पर आधारित अपने निष्कर्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक पहुचेगा।

25. अपीलो को खर्चो के सम्बन्ध में किसी आदेश के बिना आंशिक अनुज्ञात किया जाता है।

26. लंबित आवेदन, यदि कोई है, भी निपटाया जायेगा।

<u>यह अनुवाद शिवाकान्त तिवारी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>